

462-I/2012

3



94/ क्रायालय माननीय राजस्व मॉडल, ग्वालियर

21-2-12 को

प्रकरण-कमांक

94/10-11

21-2-12

2012 (रिवीजन)

462 I/2012

कपिल पुत्र श्री शांतिलाल कुमठ,
निवासी- पिपलिया मंडी, तहसील
मल्हारगढ़, जिला मंसौर म.प्र)

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. रतनकुमार पुत्र श्री शांतिलाल जी कुमठ, निवासी- पिपलिया मंडी, हाल मुकाम-42, गांधी नगर, बाबूलाल मेहता का मकान, जिला नीमच म.प्र.
2. टिकल पुत्र श्री शांतिलाल जी कुमठ, निवासी- पिपलिया मंडी, हाल मुकाम- 27 शिक्षक कॉलोनी, नीमच म.प्र.
3. सूरज बाई देवा हरलाल जी कुमठ, निवासी- पिपलिया मंडी, हाल मुकाम- 42, गांधी नगर, बाबूलाल मेहता का मकान, जिला नीमच म.प्र.
4. श्वेता पुत्री श्री शांतिलाल जी कुमठ पत्नी श्री मनीष कुमार आंचलिया, निवासी - जयपुर, हाल मुकाम - डॉ. एन.सी. आंचलिया, 276/तलबंदी, कोटा, राजस्थान
5. श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन

..... प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध

आदेश दिनांक 03.12.2011 प्रकरण, कमांक 94/10-11 निगरानी

परिचालक श्रीमान अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन (प्र.प.)

शांतिलाल कुमठ
आंचलिया
21-2-12


21/2/12

2-4-2014

आवेदक अधिवक्ता श्री अनिल गुप्ता उपस्थित । उन्हें
ग्राह्यता पर सुना ।

2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर
विचार किया गया तथा अधीनस्थ अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग
के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 94/2010-11 निगरानी में
पारित आदेश दिनांक 3-12-2011 की सत्यप्रतिलिपि का
अवलोकन किया गया जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी
इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3- अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि
अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी निरस्त हो चुकी है
अतः दूसरी निगरानी सुनने का कोई औचित्य नहीं होने से
प्रथमदृष्टया यह निगरानी औचित्यहीन होने से अग्राह्य की जाती
है।


प्रशासकीय सदस्य